बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

पटना, दिनांक 21/08/14

पत्रांक 197211

ग्रा0वि0-5/इं0आ0यो0(वि0परि0बंधुआ मजदूर)-102-05/2014

प्रेषक,

एस0 एम0 राजू,
सरकार के सचिव ।

सेवा में,

सभी जिला पदाधिकारी ।
सभी उप विकास आयुक्त ।

विषय :- **मैला ढोने वाले एवं मुक्त बंधुआ मजदूर बी.पी.एल. परिवारों को इंदिरा आवास योजनान्तर्गत 5% सुरक्षित राशि से पुनर्वासित करने हेतु विशेष परियोजना प्रस्ताव के संबंध में ।**

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में आप अवगत हैं कि इंदिरा आवास योजना की मार्गदर्शिका की कंडिका-3.2.4 में केन्द्र सरकार के स्तर पर इंदिरा आवास योजना के एलोकेशन का 5% राशि प्राकृतिक आपदा से पीड़ित परिवारों एवं अन्य कमजोर वर्गों के पुनर्वास पर व्यय हेतु कर्णांकित है । भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा इसके अंतर्गत प्रावधानित मैला ढोने वाले एवं मुक्त बंधुआ मजदूर बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकृष्ट किया जाता रहा है ।

उल्लेखनीय है कि संबंधी विशेष परियोजना प्रस्ताव उपलब्ध कराने का अनुरोध विभागीय पत्रांक-159933 दिनांक-14.08.13 द्वारा किया गया था । पुन: भारत सरकार के विशेष अनुरोध के आलोक में माह दिसम्बर 2013 में अर्द्ध सरकारी पत्र के माध्यम से तत्कालीन प्रधान सचिव द्वारा सभी जिला पदाधिकारियों से अनुरोध किया गया था कि मुक्त बंधुआ मजदूर एवं मैला ढोने वाले बी.पी.एल. परिवारों को चिन्हित कर उनके पुनर्वास हेतु विशेष परियोजना प्रस्ताव समर्पित किया जाय । किन्तु न तो पिछले वित्तीय वर्ष 2013-14 में और न ही चालू वित्तीय वर्ष 2014-15 में अबतक किसी भी जिला से कोई विशेष परियोजना प्रस्ताव विभाग को प्राप्त हो सके हैं ।

प्रसंगवश यह भी उल्लेखनीय है कि श्रम संसाधन विभाग, बिहार से प्राप्त मधुबनी, खगड़िया, पटना, बेगुसराय, औरंगाबाद, सीतामढ़ी, सुपौल, नवादा, सहरसा, मुजफ्फरपुर, वैशाली, नालन्दा, अररिया, पूर्णियॉ, गया, समस्तीपुर, जहानाबाद, अरवल, कटिहार एवं शेखपुरा जिलों के मुक्त बंधुआ मजदूर की सूची इस विभाग को उपलब्ध करायी गयी थी, जिसे विभागीय पत्रांक-178975 दिनांक-26.02.14 एवं 180484 दिनांक-12.03.14 द्वारा संबंधित जिलों को उपलब्ध कराते हुए अनुरोध किया गया था कि सूची में दर्शाये गये परिवारों का सत्यापन कराकर एवं इसके अतिरिक्त भी यदि कोई मुक्त बंधुआ मजदूर के परिवार हों तो विहित प्रपत्र में विशेष परियोजना प्रस्ताव तैयार कर वांछित कागजातों एवं प्रमाण पत्रों के साथ 15 दिनों के अंदर विभाग को उपलब्ध करायी जाय । किन्तु लंबी अवधि व्यतीत होने के बावजूद विभाग द्वारा सूची उपलब्ध करा दिये जाने के बाद भी जिलों द्वारा मुक्त बंधुआ मजदूरों के पुनर्वास से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामलें में भी कोई रूची नहीं ली गयी ।

भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा पुन: अपने पत्र संख्या-M-13013/02/2013-RH दिनांक-28.07.14 (छाया प्रति संलग्न) द्वारा मुक्त बंधुआ मजदूर एवं मैला ढोने वाले परिवारों के पुनर्वास हेतु विशेष परियोजना प्रस्ताव प्रेषित करने की ओर विभाग का ध्यान आकृष्ट किया गया है । इस संबंध में अनुरोध है कि विशेष परियोजना प्रस्ताव भेजें । यदि आपके जिले में मैला ढोने वाले परिवार नहीं हैं तो इस आशय का प्रमाण-पत्र विभाग को उपलब्ध कराए ।

अत: आपसे अनुरोध है कि इस मामले में व्यक्तिगत ध्यान देकर प्राथमिकता के आधार पर विशेष परियोजना प्रस्ताव तैयार कर वांछित कागजातों एवं प्रमाण पत्रों के साथ विभाग को दिनांक 31.08.14 तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जाय अन्यथा इस कार्य की उपेक्षा करने वाले को चिन्हित कर उनके विरूद्ध प्रतिवेदन भेजा जाय ताकि सरकार का ध्यान इस ओर आकृष्ट करवाया जा सके ।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन

(एस0 एम0 राजू)
सरकार के सचिव
8/14